उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 84/2015/691/71-1-2015-जी-36/2015
लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर तथा गोरखपुर में रिक्त सहायक आचार्य के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/305, दिनॉक 02-03-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 03 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

5- संविदा पर तैनात किये गये संबंधित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः- 84/2015/691(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कन्नौज, गोरखपुर, बांदा, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़, आगरा तथा जालौन।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज, गोरखपुर, बांदा, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़, आगरा तथा जालौन।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज, गोरखपुर, बांदा, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़, आगरा तथा जालौन।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज, गोरखपुर, बांदा, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़, आगरा तथा जालौन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>कार्यालय ज्ञाप संख्या- 84/2015/691/71-1-2015-जी-36/2015,</u>

<u>दिनॉक 31 मार्च, 2015 का संलग्नक</u>

क्र0	विशिष्टता का नाम/पदनाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	तैनाती का स्थान
1	माइक्रोबायोलाजी (सहायक आचार्य)	डा0 लेखा तुली, प्रवक्ता (संविदा), माइक्रोबायोलजी विभाग, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर
2	साइक्रियाट्री (सहायक आचार्य)	डा0 आमिल एच0 खान, प्रवक्ता (संविदा), साइक्रियाट्री विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
3	आर्थोपेडिक्स (सहायक आचार्य)	डा0 अमित कुमार मिश्रा, प्रवक्ता (संविदा), आर्थोपेडिक्स विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर	मेडिकल कालेज, गोरखपुर

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।